भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1399
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन

†1399. श्री सुनील बोसः

श्री प्रशांत यादवराव पडोलेः

श्री के. सुधाकरनः

श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जम्मू और कश्मीर तथा केरल में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि, राज्य आपदा राहत निधि, राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपदा जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वित्त वर्ष 2020-2025 बीच परियोजना-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1399, दिनांक 09.12.2025

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

वर्ष 2025 के दौरान, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, और जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए आईएमसीटी का गठन निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया है: -

क्र सं	**राज्य**	**गठन की दिनांक**	**दौरे की तारीख़**
01	हिमाचल प्रदेश	14जुलाई 2025	पहला चक्र 18 से 21 जुलाई 2025 दूसरा चक्र 7 से 10 सितंबर 2025
02	पंजाब	01 सितम्बर 2025	3 से 6 सितंबर 2025
03	उत्तराखंड	08 अगस्त 2025	7 से 9 सितंबर 2025
04	जम्मू और कश्मीर	27 अगस्त 2025	3 से 8 सितंबर 2025

2025 के दौरान केरल राज्य के लिए कोई आईएमसीटी गठित नहीं की गई है। आईएमसीटी रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

(ख): राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा शमन कोष के अंतर्गत वित्तवर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी धन राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध-। पर दिया गया है।

(ग): आपदा जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और वित्त वर्ष 2020-2025 के बीच परियोजनावार, राज्यवार और वर्षवार स्वीकृत राशि का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1399, दिनांक 09.12.2025

अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी धनराशि का राज्यवार विवरण (01.12.2025 तक)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य/निधि	एनडीआरएफ	एसडीआरएफ	एसडीएमएफ
आंध्र प्रदेश		544.00	136.00
अरुणाचल प्रदेश	34.54	237.20	113.00
असम	354.84	375.60	0.00
बिहार	76.70	688.40	172.10
छत्तीसगढ		400.00	0.00
गोवा		5.60	1.40
गुजरात	76.24	1854.00	292.00
हरियाणा	26.24	238.80	111.10
हिमाचल प्रदेश	582.11	397.60	49.70
झारखंड	33.29	276.00	244.40
कर्नाटक		768.80	340.40
केरल	114.49	153.20	0.00
मध्य प्रदेश	89.15	885.20	432.10
महाराष्ट्र	138.09	3132.80	1137.60
मणिपुर	131.80	29.20	0.00
मेघालय		60.00	0.00
मिजोरम	14.40	22.80	0.00
नागालैंड	14.42	40.00	5.00
ओडिशा		780.00	195.00
पंजाब		481.60	117.50
राजस्थान		720.00	180.00
सिक्किम	87.76	48.80	6.10
तमिलनाडु	522.34	496.00	124.00
तेलंगाना	57.04	218.40	442.00
त्रिपुरा		25.20	0.00
उत्तर प्रदेश		1836.00	235.10
उत्तराखंड	291.15	911.20	113.90
पश्चिम बंगाल		491.60	122.90
कुल	**2644.60**	**16118.00**	**4571.30**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1399, दिनांक 09.12.2025

अनुबंध-II

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता राशि का विवरण (दिनांक 24.11.2025 तक)

(करोड़ रुपये में)

एनडीएमएफ से परियोजनावार जारी	शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम		शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजना (यूएफआरएमपी) (चरण-II)		हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम			भूस्खलन जोखिम शमन के लिए कार्यक्रम		बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम		वन अग्नि प्रबंधन हेतु शमन परियोजना		आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना	
राज्य/वर्ष	एनडीएमएफ आवंटन	जारी	एनडीएमएफ आवंटन	जारी	एनडीएमएफ आवंटन	जारी		एनडीएमएफ आवंटन	जारी	एनडीएमएफ आवंटन	जारी	एनडीएमएफ आवंटन	जारी	एनडीएमएफ आवंटन	जारी
जारी वर्ष		2024-25				2024-25	2025-26		2025-26		2025-26				
आंध्र प्रदेश			200.00							100.00	50.00	16.63	-	9.94	-
अरुणाचल प्रदेश					40.50	1.83		45.00				13.06	-		-
असम			200.00					60.30				26.79	-		-
बिहार			200.00							100.00			-	16.47	-
छत्तीसगढ			200.00									63.04	-	12.11	-
गुजरात	243.90	73.17								100.00		7.79	-		-
हिमाचल प्रदेश					31.50		9.45	125.10				7.34	-		-
झारखंड										100.00		21.95	-	12.11	-
कर्नाटक	238.73	71.62						64.80		100.00	50.00	30.20	-		-
केरल			200.00					64.80				14.13	-		-
मध्य प्रदेश			400.00							100.00	50.00	88.80	-	16.47	-
महाराष्ट्र	750.00	225.00						90.00		100.00	50.00	48.24	-	12.11	-
मणिपुर								45.00				24.76	-		-
मेघालय								45.00				12.40	-	5.58	-
मिजोरम								45.00				27.52	-		-
नागालैंड								45.00				20.87	-		-
ओडिशा			200.00							100.00	50.00	56.77	-	12.11	-
राजस्थान			200.00							100.00	50.00		-		-
सिक्किम					36.00	8.35		45.00	13.50				-		-
तमिलनाडु	500.00	114.75						45.00		100.00	50.00	9.48	-		-
तेलंगाना	250.00	75.00								100.00	50.00	24.33	-		-
त्रिपुरा								9.90					-		-
उत्तर प्रदेश			400.00							100.00			-	16.47	-
उत्तराखंड					27.00		8.10	125.10	4.54			15.06	-		-
पश्चिम बंगाल	500.00	150.00						45.00					-	7.76	-

*इसके अलावा, असम राज्य के लिए एनडीएमएफ से 519.04 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ असम के 24 आर्द्रभूमियों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

*सिक्किम राज्य की आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) रिपोर्ट के आधार पर, सिक्किम राज्य के लिए डीआरआर हेतु एनडीएमएफ से 217.16 करोड़ रुपये के निधि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

******